भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 571
गुरूवार, 04 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947(शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना

571. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना उपलब्ध करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित बजट एवं उसकी अवधि क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की गई। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं अथवा आयकर दाता नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर अंशदान राशि 55/- रुपये से 200/- रुपये तक होती है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बराबर अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाता है, जिसके देश भर में लगभग 4 लाख केंद्र हैं। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक के लिए 30,651/- करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त निर्धारित बजट में इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।
